



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2017/पौष 28, 1938

No. 163]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2017/PAUSA 28, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

का.आ. 176(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, जनवरी 2017 के 18वें दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 20 एवं 21 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 3/5/2016-डीआरटी]

आनंदराव वि. पाटील, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2017

S.O. 176(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016 (44 of 2016), the Central Government hereby appoints the 18th day of January, 2017 as the date on which the provisions of sections 20 and 21 of the said Act shall come into force.

[F. No. 3/5/2016-DRT]

ANANDRAO V. PATIL, Jt. Secy.

294 GI/2017